HRA AN USUS The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਜਂ. 459] No. 459] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 1, 2000/भाद्र 10, 1922

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 1, 2000/BHADRA 10, 1922

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पोत परिवहन विभाग)

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2000

सा.का.नि. 701 (अ).—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास (संशोधन) अधिनियम, 2000 की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा 1 सितम्बर, 2000 को ऐसी तारीख के रूप में निर्धारित करती है जब से उक्त अधिनियम के उपबंध लागू हो जाएंगे।

[फा. सं. पी डी-25021/9/97-पीवीटी]

के. वी. राव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Department of Shipping)

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st September, 2000

G.S.R. 701 (E).—In exercise of powers conferred under Sub-section (2) of Section 1 of the Major Port Trusts (Amendment) Act, 2000, the Central Government hereby appoints the 1st day of September, 2000 as the date on which the provisions of the said Act shall come into force.

[F. No. PD-25021/9/97-PVT]

K. V RAO, Jt. Secy.

